[illegible] की [illegible]संख्या [illegible]र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–158/2021

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत

श्री जगरनाथ सिंह एवं अन्य––विक्रेता

प्रति

श्रीमती बासमती देवी––क्रेता

–:आदेश:–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता 1. श्री जगरनाथ सिंह, 2. श्री रामनाथ सिंह, दोनों के पिता–स्व० घुरा सिंह, ग्राम–बैलाझखडा, पोस्ट–डण्डई, थाना–डण्डई, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती बासमती देवी, पति–श्री रणजीत सिंह, ग्राम–बैलाझखड़ा, पोस्ट–डण्डई, थाना–डण्डई, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, डण्डई से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, डण्डई के पत्रांक 07/दिनांक 07.01.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के चाचा धुपनारायण भोगता वगैरह के नाम से मांग चलता है। विक्रेतागण जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) एवं क्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, डण्डई के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता 1. श्री जगरनाथ सिंह, 2. श्री रामनाथ सिंह, दोनों के पिता–स्व० घुरा सिंह, ग्राम–बैलाझखडा, पोस्ट–डण्डई, थाना–डण्डई, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्रीमती बासमती देवी, पति–श्री रणजीत सिंह, ग्राम–बैलाझखड़ा, पोस्ट–डण्डई, थाना–डण्डई, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
बैलाझखड़ा	387	46	225	0.10	उ०–यमुना सिंह, द०–जय प्रकाश सिंह, पू०–रास्ता, प०–उदय प्रताप सिंह,
			कुल रकबा:–	0.10	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

23.3.23

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

23.3.23

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2023.04.11 12:15:45 +05:30
Location: 192.168.18.160

Scanned with CamScanner